प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री द्वारा वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक पारित करवाने के प्रस्ताव के साथ सदन में दिये गये वक्तव्य के मुख्य बिन्दु :–

- प्रदेश की जनता की आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट।
- पार्टी की घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया। पार्टी के घोषणा पत्र के कुल 329 संकल्पों में से 101 संकल्पों का बजट में समावेश तथा 80 बिन्दुओं का क्रियान्वयन प्रथम 3 माह की कार्ययोजना में ही किया गया।
- वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप राजस्व आय में कमी तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण आये अतिरिक्त वित्तीय भार के बावजूद चालू वर्ष की योजना के आकार को 33 प्रतिशत बढ़ाते हुए 18365 करोड़ रुपये किया गया एवं विभिन्न sectors में बढ़े हुए प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं।
- ई–गवर्नेन्स के माध्यम से सर्विस डिलिवरी में गुणात्मक सुधार का प्रयास। योजना बजट की 3 प्रतिशत राशि का सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र में उपयोग करने की छूट।
- बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति हेतु मुख्य सचिव द्वारा नियमित समीक्षा। आवश्यक स्वीकृतियाँ एक महीने में जारी।
- बजट में घोषित नई नीतियों के माध्यम से समयबद्ध रूप से निश्चित परिणाम प्राप्त करने पर बल।
- बजट में निम्नानुसार नई घोषणाएं की गई :–

कर संबंधी घोषणाएं

- वर्तमान में गुड पर 4 प्रतिशत कर देय है जिसे कर मुक्त किया गया है।
- 200 रूपये प्रति नग तक मूल्य के टॉवलों को कर मुक्त किया गया है।
- 200 रुपये मूल्य तक के जूतें कर मुक्त हैं, इस सीमा को बढ़ाकर 300 रुपये किया जा रहा है।
- Power Tools तथा Tools के Parts की कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गई।
- बबूल, आम और शीशम की लकड़ी का उपयोग handicrafts में करने पर इनकी कर दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है।
- Rice Bran पर कर माफ कर दिया गया है।
- राज्य में सभी प्रकार की साड़ियों तथा विभिन्न प्रकार के सजावटी कार्य की हुई साड़ियों को कर मुक्त किया गया है।
- घड़वा पत्थर/घड़ाव मार्बल पर भी कर दर 4 प्रतिशत की गई है।

- सभी प्रकार की भुजिया सहित branded व un-branded नमकीन की कर दर 4 प्रतिशत की गई।

- आलू की कच्ची पपड़ी (unfried potato chips) को कर मुक्त किया गया है।

- समस्त प्रकार के used वाहनों की बिक्री पर 1000 सी.सी. तक एक मुश्त कर राशि 2000 रुपये एवं उससे अधिक क्षमता के हल्के वाहनों पर 5000 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराने भारी वाहनों पर एकमुश्त 8000 रुपये की कर दर निर्धारित की गई है।

- गत वित्तीय वर्ष में लागू की गई वाणिज्यिक कर विभाग की Amnesty Scheme की अवधि 31 दिसम्बर, 2009 तक बढ़ाई गई।

- **SEZ के लिये प्रोत्साहन**

राज्य में नया SEZ Act लाया जायेगा।

नये Act में SEZ की स्थापना हेतु भूमि रूपान्तरण पर मात्र 100/– रूपया शुल्क लगेगा तथा Developer एवं Co-developer को समान दर्जा दिया जायेगा।

SEZ में स्थापित उद्योगों को 7 साल के स्थान पर 10 साल के लिये विद्युत शुल्क छूट दी जायेगी।

SEZ परिसर में स्थापित होटलों एवं मनोरंजक ईकाइयों को विलासिता (100 प्रतिशत) एवं मनोरंजन कर (50 प्रतिशत) से 7 साल तक छूट मिलेगी।

SEZ के लिये खरीदी गई भूमि तथा बाद में उनकी लीज पर अन्तरण, मुद्रांक शुल्क से मुक्त होगा।

ऐसे उद्योग जो किराये के भवन में स्थापित होंगे, उनका किरायानामा भी मुद्रांक शुल्क से मुक्त होगा।

- मुआवजे में आवंटित विकसित भूमि पर लीज राशि में लगभग 75 प्रतिशत की छूट। लीज राशि की गणना, नियमन की दरों के आधार पर करने की व्यवस्था लेकिन छूट 8 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर ही देय होगी।

अन्य घोषणाएं

- **जैसलमेर में नया यू.आई.टी.**

  जैसलमेर के सुनियोजित विकास के लिये यू.आई.टी. का गठन किया जायेगा।

- **नरेगा कार्यों का Performance Audit**

  राज्य में नरेगा कार्यों पर सशक्त निगरानी रखने के लिये आंध्रप्रदेश के पेटर्न पर Performance Audit (निष्पादन अंकेक्षण) का पूर्ण एवं विस्तृत प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा। ग्राम स्तर से लेकर राज्य के सर्वोच्य स्तर तक अत्याधुनिक आई.टी. तकनीक के साथ एक मजबूत तन्त्र विकसित किया जायेगा, जिसपर वार्षिक लगभग 15 करोड़ रूपये खर्च आयेगा। Performance Audit को सशक्त बनाया जायेगा।

- **नये न्यायालयों की स्थापना**

  Negotiable Instruments Act के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिये 14 नये न्यायालय खोले जायेंगे।

- **भूतपूर्व विधायकों के लिए घोषणायें**
  - मासिक पेंशन 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये।
  - भूतपूर्व विधायक के देहान्त पर पत्नि या पति को 50 प्रतिशत आजीवन पेंशन
  - टोलटैक्स के भुगतान से छूट

- **वर्तमान विधायकों के लिए घोषणायें**
  - वेतन 5000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह
  - अधिकतम 50000 रुपये तक की कीमत का लेपटोप कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जायेगा।
  - बैठक भत्ता 400 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन।
  - विधायकों द्वारा जिला पूल के वाहन की सुविधा नहीं लेने पर 10000 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ते का पुनर्भरण ।